

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">31.05.2023 हुक्म या कार्यवाही मय लघु हरताकर जज श्रीमधोपुर अस्थाई निवे- 2023 पा/म/23</p>
------------------------	--

09.05.2023

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते पेश होने जवाब उल जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली दिनांक 17.05.2023 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

17.05.2023

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र वकूलाय उभय पक्षकारान् की आपसी सहमति से वादपत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त हो जाने तथा उक्त प्राप्त प्रस्ताव पर वकूलाय उभय पक्षकारान् द्वारा अपनी-अपनी सहमति व्यक्त कर दिये जाने से वादपत्र में आज अन्तिम डिक्री जारी की जा चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)